S.L. No.-..............

Cost of Form- Rs.100/-

आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना

आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना के भवनों/परिसरों के साफ–सफाई संबंधी आवश्यक सूचनायें :–

(निविदा दस्तावेज)

FOR REFERENCE ONLY

1. निविदा दस्तावेज खरीदने की अंतिम तिथि दिनांक =.................... के .... बजे शाम तक।

2. निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक=.................... के............ बजे शाम तक।

3. निविदा दस्तावेज खुलने के तिथि दिनांक =......................... के .... बजे शाम को।

आयुक्त के सचिव,
पटना प्रमंडल, पटना।

This tender document is for reference only and its physical copy has to be obtained from Office of the Commissioner, Near Golghar, Patna on payment of Rs. 100/-(One Hundred). Each tender paper purchased from Office of the Commissioner shall be serially numbered and signed. Agency will have to submit tender in the same serially numbered tender paper, which has been physically obtained from Office of the Commissioner.

(1) आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना में साफ–सफाई एवं गार्डेनिंग हेतु 03 स्वीपर (अकुशल) और 01 गार्डेनर (अर्धकुशल) के साथ हाउस कीपिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित और अनुभवी एजेंसियों से निविदा आमंत्रित किया जाता है।

(2) <u>निविदा की प्रमुख शर्ते :–</u>

(क) तकनीकी निविदा की शर्ते :–

निविदा के साथ निम्न कागजात के स्व–हस्ताक्षरित प्रति निम्न क्रमानुसार संलग्न रहना चाहिए :–

(i) निविदादाता को अग्रधन के रूप में 10,000/– रूपया का बैंक ड्राफ्ट जो राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्गत "Secretary to Commissioner, Patna Division, Patna" के पक्ष में देय हो, की मूल प्रति संलग्न करना होगा। बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी मान्य नहीं होगी। EMD की राशि निविदा के साथ प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी। केन्द्रीय क्रय संगठन/राज्य क्रय संगठन, राष्ट्रीय लघु उद्योग कॉरपोरेशन (एन0एस0आई0सी0) /एम0एस0एम0इ0, राज्य सरकार के Registered Start Up अथवा संबंधित विभागों में पंजीकृत फर्म को उक्त बोली प्रतिभूति जमा करने में छूट ले सकतें हैं, बशर्ते तत्संबंधी अभिलेखों की प्रति संलग्न करना होगा।

(ii) PAN कार्ड का स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति।

(iii) साफ–सफाई एजेंसी/संस्थान को वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत निबंधन अनिवार्य होगा, GST निबंधन का स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति।

(iv) किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य प्रतिष्ठान द्वारा **Debar/काली सूची** में दर्ज नहीं होने का Notarised शपथ–पत्र।

(v) भारतीय श्रम अधिनियम के तहत Bihar Shops and Establishment Act के अंतर्गत साफ–सफाई एजेंसी/संस्थान का निबंधन अनिवार्य होगा, की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति।

(vi) GST के अंतर्गत मार्च–2024 माह के लिए दाखिल विवरणी की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति।

(vii) एजेंसी/संस्थान द्वारा तीन वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22 तथा 2022–23 का आयकर रिटर्न निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

(viii) निविदादाता को कम से कम तीन (3) वित्तीय वर्षों (2020–21, 2021–22, 2022–23) के लिए 5,00,000/– (पाँच लाख) रु0 प्रति वर्ष का टर्नओवर होना चाहिए। इसके लिए एजेंसी को प्रमाणित चार्टर्ड एकाउन्टेंट के ऑडिट रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में जमा करनी होगी।

(ix) निविदादाता को कम से कम तीन वर्षो का केन्द्र/राज्य सरकार, अर्द्धसरकारी संस्थान, निगम आदि का कार्यानुभव होना अनिवार्य होगा।

FOR REFERENCE ONLY

(x) कंपनी/फर्म/एजेंसी के मालिक को अपना आवासीय प्रमाण पत्र और संबंधित जिले के डीएम/एसपी/एसडीओ कार्यालय से जारी वैध चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र निविदा सूचना के विज्ञापन की तिथि से 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

(xi) EPFO में Registration Certificate की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति।

(xii) ESIC में Employer का Registration Certificate (C-11) की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति।

(xiii) सभी पृष्ठों पर निविदादाता का हस्ताक्षर होना चाहिए।

(ख) <u>वित्तीय निविदा की शर्तें :–</u>

(i) तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोलने पर विचार किया जाएगा।

(ii) निविदा में भाग लेने वाले साफ–सफाई एजेंसी/संस्थान को प्रारूप Annexure-A में स्पष्ट रूप से सूचना का अंकण होना चाहिए।

(iii) पूरे माह हेतु साफ–सफाई के लिए प्रति कर्मी को की जाने वाली भुगतान यथा साफ–सफाई सामग्री पर व्यय, सेवा शुल्क, EPFO, ESIC अंशदान की राशि एवं GST की राशि का पूर्ण गणना करने के उपरांत निविदादाता अपना मासिक दर वित्तीय निविदा में दर्ज करेंगे।

(iv) साफ–सफाई की सेवा प्राप्त करने हेतु सेवा शुल्क न्यूनतम 3.85 प्रतिशत (3 प्रतिशत लाभ एवं 0.85 प्रतिशत संव्यवहार शुल्क के रूप में तथा अधिकतम 7 प्रतिशत संव्यवहार शुल्क सहित) होगी। इसी आधार पर निविदा दाखिल करना होगा।

(ग) **<u>निविदा की अन्य शर्तें :–</u>**

(i) साफ–सफाई का दर प्रति सफाई कर्मी एवं गार्डेनर प्रतिमाह (सभी सफाई सामग्री एवं उपकरण सहित) के आधार पर मान्य होगा। (Annexture-A के Format में)

(ii) सफाई हेतु सभी आवश्यक सामग्री यथा–झाड़ू–खस एवं बाथरूम साफ करने का ब्रश, एसिड, कोलिन, लाईजोल, हारपिक, फिनाईल गोली, ओडेनिल, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि सामग्रियों का आवश्यकतानुसार चयनित एजेंसी को स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

(iii) चयनित एजेंसी को प्रत्येक माह के अंतिम तारीख को संबंधित कार्यालय से साफ–सफाई कार्य से संबंधित उपस्थिति पत्र प्राप्त करना होगा तथा इसके उपरांत भुगतान हेतु उनके द्वारा विपत्र समर्पित किया जायेगा।

(iv) चयनित एजेसी को सभी सफाई कर्मियों का नाम, पता एवं फोटो पहचान/आधार कार्ड की छायाप्रति को सत्यापित करा कर प्रशाखा पदाधिकारी, लेखा शाखा के पास जमा करना होगा।

(v) सफाई करने का दर संविदा समाप्ति की अवधि तक के लिए लागू रहेगा। आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना चयनित एजेंसी के सफाई कार्य से संतुष्ट रहने की स्थिति में इस निविदा

FOR REFERENCE ONLY

अवधि को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकती है। कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना संविदा को समाप्त कर सकती है।

(vi) यदि चयनित एजेंसी के साफ–सफाई कर्मियों द्वारा सरकारी संपत्ति की क्षति की जाती है, तो इसकी पूर्ण भरपाई चयनित एजेंसी को करनी होगी। यदि हर्जाने की भरपाई चयनित एजेंसी के द्वारा नहीं की जाती है, तो वैसी स्थिति में आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना चयनित एजेंसी के विरूद्ध आपराधिक मामला भी दायर कर सकती है तथा हर्जाने की राशि की वसूली उन्हें भुगतान की जाने वाली राशि से की जायेगी।

(vii) चयनित निविदादाता को कार्य आवंटन के पश्चात ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत, यदि लागू हो तो, लाईसेंस प्राप्त कर विभाग में जमा करना होगा।

(viii) चयनित निविदादाता द्वारा जिन जिन मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उन मजदूरों को EPFO कार्यालय एवं ESIC कार्यालय में निबंधित करवा कर निबंधन का साक्ष्य आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना में जमा करना होगा।

(ix) चयनित निविदादाता प्रत्येक महीने मजदूरों का EPFO Contribution एवं ESIC Contribution संबंधित कार्यालय में जमा कर चालान की प्रति प्रत्येक महीने विभाग में जमा करेंगे एवं इस संबंध में संवेदक द्वारा मजदूरों के हित के प्रतिकूल कार्य करते हुए पाये जाने पर संवेदक को **Debar/काली सूची** में दर्ज करने एवं भविष्य में कहीं भी निविदा दाखिल करने से वंचित किया जा सकता है।

(x) आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना के पास काम देने से पहले या लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) के दौरान किसी भी समय तैनात किए जाने वाले सफाईकर्मियों और माली की संख्या को बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित है।

(xi) Letter of Award (LOA) कार्य आदेश की निर्गत तिथि से (11) ग्यारह महीने की अवधि के लिए वैध होगा। एजेंसी का साफ–सफाई का कार्य यदि संतोषजनक होने पर आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना एवं एजेंसी की आपसी सहमति पर इसे अगले दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, यदपि कार्य एजेंसी अपने संबंधित लाइसेंस के साथ आवश्यक कागजात जमा करती है।

(xii) यदि एजेंसी द्वारा साफ–सफाई एवं गार्डेनिंग का कार्य असंतोषजनक किये जाने पर आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा एक महीने पहले नोटिस देकर **Letter of Award (LOA)/अनुबंध को** समाप्त किया जा सकता है।

(xiii) सफल निविदादाता को 25000/– रुपये की Bank Security/Demand Draft/ Performance Bank Gurantee को Agreement करने से पहले आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना के पक्ष में जमा करना होगा। सुरक्षा जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है और अनुबंध की अवधि समाप्त होने के 60 दिन बाद तक वैध रहेगी।

FOR REFERENCE ONLY

(xiv) आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना के पास किसी भी समय निविदा के नियमों और शर्तों को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है।

(xvi) आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा भुगतान में किसी भी तरह की देरी/विलंब की स्थिति में, चयनित एजेंसी को तैनात सफाईकर्मी और माली को नियमित रूप से भुगतान करना होगा।

(xvii) एजेंसी द्वारा तैनात स्वीपर एवं गार्डेनर को ईपीएफ, ईएसआई के लिए किए जाने वाले भुगतान के नियम एवं शर्तों के पालन के मद्देनजर सबूत के तौर पर एजेंसी को बैंक स्टेटमेंट इस कार्यालय को जमा करना होगा और इसे जमा करने के बाद ही आयुक्त कार्यालय,पटना प्रमंडल,पटना द्वारा मासिक विपत्र का भुगतान किया जायेगा।

(xx) एजेंसी अनुबंध श्रम के वैधानिक प्रावधानों का जैसे कर्मचारी भविष्य निधि (और विविध प्रावधान) अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 सभी संशोधनों के साथ का अनुपालन करेंगे।

(xxi) वर्तमान में प्रभावी लागू मानदंडों के अनुसार तैनात सफाई कर्मचारियों और एक माली को वेतन के भुगतान के लिए एजेंसी पूरी तरह से जिम्मेदार होगी।

(xxii) सभी निविदादाता एजेंसी वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा परिपत्र संख्या–2988, दिनांक–23. 03.2023 द्वारा जारी लागू मानदंडों का अनुपालन करेंगे।

(xxiii) एजेंसी द्वारा किये गए कार्य के प्रदर्शन/परफोर्मेंस का मूल्यांकन आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा नियमित रूप से किया जायेगा और अपने विवेक से निर्धारित मापदंडो/कार्य के दायरे के अनुसार मासिक भुगतान में उचित कटौती कर सकता है। एजेंसी द्वारा किया गया कार्य यदि असंतोषजनक पाया जाता है, तो आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना एजेंसी को प्रतिबंधित/काली सूची में डाल सकता है और L2 दर उद्धृत करने वाली एजेंसी को L1 दर पर काम दे सकता है। यदि अगली एजेंसी काम सौंपने के बाद काम करने से इनकार करती है या असंतोषजनक प्रदर्शन करती है, तो आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना का कार्यालय द्वारा पुनः निविदा निकाल सकती है।

(xxiii) निविदा अस्वीकृत/रद्द करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना के पास सुरक्षित रहेगा।

(xxiv) तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा (Annexure-A) अलग–अलग लिफाफा में सील करके दोनों लिफाफा के उपर क्रमशः "तकनीकी निविदाः एवं वित्तीय निविदा लिखा होना चाहिये एवं इन दो अलग–अलग लिफाफा को एक बड़े *लिफाफा* के अंदर डालकर उसे सील करके उसके उपर "निविदा आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना में साफ–सफाई के कार्य हेतु" लिखा होना चाहिए।

(xxv) निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक निविदा स्वीकार की जायेगी।

कार्य का स्वरूप :–

FOR REFERENCE ONLY

(1) एजेन्सी द्वारा भवन के भीतरी (भु–तल, प्रथम–तल एवं द्वितीय–तल) परिसर एवं बाहरी परिसर का पूर्ण रूप से Cleaning, Dusting, Mopping इत्यादि का कार्य करना पडेगा। इसके अंतर्गत सभी कमरे, बरामदा, सीढ़ी, स्नानघर, शौचालय, छत, पानी का टंकी, गाड़ी पार्किंग स्थल, कैंपस के अंतर्गत नाला कैपंस स्थित गार्डेन में पानी डालना, गार्डेन में घास का ससमय कटिंग करना एवं बाहरी एवं भीतरी परिसर के संपूर्ण सफाई सुनिश्चित करना।

(2) एजेन्सी के सफाई कर्मी द्वारा परिसर स्थित किसी भी तरह के स्थायी Structure, Fittings, Furniture, Apparatus, Tiles, Pipes, Electrical Fitting का नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा। किसी भी तरह का नुकसान प्रतिवेदित किये जाने पर उसके मरम्मति/बदलने का कुल खर्च एजेन्सी से वसूला जायेगा।

(3) विभिन्न कार्यों का विस्तृत विवरणी निम्नवत है :–

क्र0 सं0	स्थान	परिसर	अंतराल (कितने दिनों पर करना है)
1	कमरों की सफाई	कार्यालय (भु–तल, प्रथम–तल एवं द्वितीय–तल)	दिन में एक बार
2	बरामदा	कार्यालय (भु–तल, प्रथम–तल एवं द्वितीय–तल)	दिन में एक बार
3	स्नानाघर	कार्यालय (भु–तल, प्रथम–तल एवं द्वितीय–तल)	दिन में एक बार
4	सीढ़ी	कार्यालय	दिन में एक बार
5	शौचालय/यूरीनल	कार्यालय (भु–तल, प्रथम–तल एवं द्वितीय–तल)	दिन में दो बार
6	कैंपस का एरिया	कार्यालय	दिन में एक बार
7	उपर का खुला छत	कार्यालय	महीने में एक बार
8	पानी का टंकी	कार्यालय	महीने में एक बार
9	पानी का टंकी (यदि अलग से हो)	कार्यालय	महीने में एक बार
10	परिसर स्थित नाला की सफाई	कार्यालय	प्रत्येक दिन
11	खिडकी का काँच एवं मकडी के जाले की सफाई	कार्यालय (भु–तल, प्रथम–तल एवं द्वितीय–तल)	महीने में दो बार
12	गाडी पार्किंग स्थल	कार्यालय	प्रत्येक दिन
13	गार्डेन में पानी डालना	कार्यालय	प्रत्येक दिन
14	गार्डेन में पानी डालना (यदि अलग से हो)	कार्यालय	प्रत्येक दिन
15	बरसात के कारण जलजमाव की स्थिति में	कार्यालय	आवश्यकता पड़ने पर अविलंब पानी निकालना
16	जानवरों का गोबर अथवा मृत शरीर	कार्यालय	तुरंत फेकना
17	मरा हुआ चूहा	कार्यालय	तुरंत खोजकर फेकना
18	कार्यालय में टेबल, टेबल का ग्लास,	कार्यालय	प्रत्येक दिन

FOR REFERENCE ONLY

	कुर्सी की सफाई		
19	खिडकी, दरवाजा, फर्श विभिन्न कोनों में जमे धूल, मकरी का जाल, अन्य स्थानों पर जमे गंदगी की सफाई	कार्यालय	प्रत्येक दिन
20	दीवाल/भवन में अनावश्यक रूप में उगे हुए पौधों को हटाना	कार्यालय	महीने में एक बार
21	लॉन और बगीचे का रखरखाव, खाद, बीजारोपण और सौंदर्यीकरण।	कार्यालय	आवश्यकतानुसार
22	पौधों और फूलों के गमलों को पानी देना।	कार्यालय	प्रत्येक दिन
23	बगीचे और लॉन की सजावट की ट्रिमिंग और रखरखाव।	कार्यालय	महीने में दो बार

(4) प्रत्येक सफाई कर्मी का कार्य अवधि सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक रहेगा एवं सफाई कर्मी को इस अवधि में कार्य स्थल पर उपस्थित रहना पडेगा। नजारत में उपस्थिति पंजी पर आगमन एवं प्रस्थान के समय हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

(5) प्रत्येक सफाई कर्मी स्वच्छ कपडे में रहेंगे एवं स्वच्छता का हमेशा ख्याल रखेंगे एवं सभी कर्मियों को ड्रेस एवं पहचान–पत्र के साथ कार्य करना है।

(6) समस्त सफाई सामग्री यथा, झाड़ू, फर्श/दीवार एवं अन्य जगहों को पोछने का कपडा, खास फिनाईल/लाइजोल/कॉलिंस इत्यादि एवं बाथरूम साफ करने का ब्रश, एसीड, हारपिक, फिनाईल, फिनिट, फिनाईल गोली, ओडेनिल, ब्लीचिंग पाउडर **सफाई एजेंसी द्वारा प्रदान किये जाएंगे एवं इसके लिये अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।**

(7) समस्त सफाई सामग्री, मशीनरी एवं घास काटने का मशीन अच्छे गुणवत्ता के होने चाहिये।

(8) समस्त कचरा को नगर निगम द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान पर सफाई कर्मी प्रतिदिन फेकेंगे।

(9) यूरनिल में नेफ्थालिन बॉल एवं दुर्गंध भगाने वाला ऑडोनिल, यूरिनल एवं शौचालय में हमेशा रहना चाहिए।

(10) परिसर में किसी तरह के जानवरों का गोबर या मृत शरीर को तुरन्त फेकने की व्यवस्था करना।

(11) परिसर में लगाये गये मधुमक्खी का छत्ता को हटाने की व्यवस्था करना।

(12) एजेन्सी द्वारा सिर्फ प्रशिक्षित एवं वयस्क श्रमिक को ही सफाई के कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किया जायेगा। बाल श्रमिक को कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किये जाने पर एकरारनामा रद्द हो जायेगा।

(13) एजेन्सी द्वारा किसी तरह के आपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति को सफाई कर्मी के रूप में प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

(14) प्रतिदिन किये जाने वाले कार्यों का ब्यौरा एजेन्सी द्वारा रखा जायेगा।

FOR REFERENCE ONLY

(15) एजेन्सी द्वारा सभी कर्मियों को ड्रैस एवं पहचान–पत्र दिया जायेगा, जो प्रशाखा पदाधिकारी, लेखा शाखा द्वारा अनुमोदित रहना चाहिए।

(16) एजेन्सी द्वारा साफ–सफाई के कार्य की निगरानी हेतु एक पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया जायेगा। इसका भुगतान स्वयं एजेंसी द्वारा किया जायेगा।

(17) कार्यालय परिसर की साफ–सफाई एवं गार्डेनिंग प्रत्येक कार्य दिवस को किया जायेगा। यदि अवकाश के दिनों में कार्यालय खुला रहे तो उस दिन भी कार्यालय में साफ–सफाई का कार्य कराना एजेन्सी सुनिश्चित करेंगे एवं इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

(18) आपातकालीन स्थिति में किसी भी समय साफ–सफाई हेतु बुलाया जा सकता है।

(19) एजेन्सी प्रति सफाई कर्मी प्रति महीना (सभी सफाई सामग्री सहित) की दर पर कार्य करेंगे।

(20) किसी भी दिन सफाई नहीं किये जाने पर उस दिन के लिए अनुपातिक ढ़ंग से एक दिन के लिए दर की गणना कर उसका 1.25 गुना राशि की कटौती पूरे महीने के लिए निर्धारित दर से की जायेगी।

(21) एजेन्सी द्वारा अपने कर्मियों को बिहार सरकार द्वारा उल्लेखित अधिसूचना संख्या–5/एम0डब्लू0–40–15/2021 श्र0सं0–1498 दिनांक– 14.03.2024 में अकुशल मजदूरों के लिये घोषित न्यूनतम मजदूरी 392/– रूपया प्रति दिन एवं अर्द्धकुशल मजदूरों के लिये घोषित न्यूनतम मजदूरी 410/– रूपया प्रति दिन का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा जिसमें समय–समय पर होने वाले परिर्वतन के आलोक में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान एजेन्सी द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

(22) पूरे महीने के लिए साफ–सफाई हेतु प्रति मजदूर को दी जाने वाली मजदूरी, साफ–सफाई इत्यादि पर होने वाले खर्च, अन्य आपाती खर्च एवं अन्य सभी तरह के खर्च, EPFO, ESIC Contribution की राशि की पूर्ण गणना करके पूरे महीने के लिए एक सफाई कर्मी के लिए अपना Monthly Rate वित्तीय निविदा में दर्ज करेंगे, जो With GST Rate होगा। सारी गणना सोच–समझकर करने के उपरांत ही निविदा डालेंगे क्योंकि निविदा डालने के उपरांत न्यूनतम राशि उद्धृत करने वाले निविदादाता द्वारा कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में EMD की राशि जब्त हो जायेगी एवं इन्हें भविष्य के लिए निविदा डालने से वंचित करते हुए Debar/काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई की जायेगी।

(23) आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा मानव बल की सेवा प्राप्त करने हेतु सेवा शुल्क की दर एवं ऐसे मानव बल के पारिश्रमिक का ससमय भुगतान हेतु निम्नवत प्रक्रिया का पालन करना होगा :–

(i) आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल की सेवा प्राप्त करने हेतु सेवा शुल्क न्यूनतम 3.85 प्रतिशत (3 प्रतिशत लाभ और 0.85 प्रतिशत संव्यवहार शुल्क के रूप में) तथा अधिकतम 7 प्रतिशत (संव्यवहार शुल्क सहित) होगी।

FOR REFERENCE ONLY

(ii) उक्त निर्धारित न्यूनतम सेवा शुल्क की अधिसीमा से न्यून एवं निर्धारित अधिकतम सेवा शुल्क की अधिसीमा से उच्च दर अंकित करने वाले निविदादाता की वित्तीय निविदा विचारणीय नहीं होगी। सेवा शुल्क के दर में अंकित रूपये में दशमलव के पश्चात 2 अंक से आगे अंकित अंक को नजरअंदाज कर दिया जायेगा।

(iii) निविदा में यदि एक से अधिक निविदादाता द्वारा उद्धृत (Quoted) न्यूनतम सेवा शुल्क की दर समान पाई जाती हैं, तो वैसी स्थिति में लॉटरी के माध्यम से निविदा का निष्पादन किया जाएगा तथा इस पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी कराई जाएगी। निविदा के निष्पादन की पूरी प्रक्रिया में बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन अपेक्षित होगा।

(iv) मानव बल को श्रम संशाधन विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी एवं उसपर लागू वैद्यानिक देयता का भुगतान अनिवार्य होगा और इसे निविदा (Bid) का आधार नहीं बनाया जायेगा।

(v) चयनित एजेंसी के द्वारा सेवा प्रदान कर रहे मानव बल को प्रति माह पारिश्रमिक के भुगतान में श्रम संशाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान मानव बल के आधार संबद्ध बैंक खाता में (RTGS) की प्रक्रिया से किया जायेगा। यह भुगतान सेवा प्राप्त कर रहें विभाग/प्राधिकार द्वारा आउसोर्सिंग एजेंसी को राशि विमुक्ति की तिथि के तीन कार्य दिवस के अंदर संबंधित एजेंसी द्वारा किया जायेगा। संबंधित कार्यालय/प्राधिकार द्वारा भुगतान आउटसोर्सिंग एजेंसी को प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक प्राप्त विपत्र के आलोक में राशि का भुगतान किया जाना होगा। साथ ही सभी वैद्यानिक कटौती की राशि को ससमय संबंधित प्राधिकार (यथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम इत्यादि) में आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा जमा कराना होगा।

(vi) आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा कर्मियों/मानव बल के मासिक पारिश्रमिक भुगतान (आधार संबद्ध खाते में) का साक्ष्य अगले माह के विपत्र के साथ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा विपत्र की राशि का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा। साथ ही वैद्यानिक कटौती/देयता (यथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बिमा अंशदान) की राशि जमा करने का साक्ष्य सहित त्रैमासिक प्रतिवेदन भी आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा सेवा प्राप्त कर रहे विभाग/प्राधिकार को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

उदाहरण स्वरूप आपके द्वारा निम्न तरह से एक कर्मी हेतु Cost की गणना की जा सकती है (निम्न गणना सांकेतिक है)।

26 दिन के लिये अकुशल एक मजदूरी (26 दिन x 392 रूपया)	= 10,192/—रूपया
26 दिन के लिये अर्द्धकुशल एक मजदूरी (26 दिन x 410 रूपया)	= 10,660/—रूपया
लागू दर पर EPFO की राशि @13%	= ……………..रूपया
लागू दर पर ESIC की राशि @3.25%	= ……………..रूपया
सेवा शुल्क प्रति माह @………….प्रतिशत में	= ……………..रूपया

FOR REFERENCE ONLY

This tender document is for reference only and its physical copy has to be obtained from Office of the Commissioner, Near Golghar, Patna on payment of Rs. 100/-(One Hundred). Each tender paper purchased from Office of the Commissioner shall be serially numbered and signed. Agency will have to submit tender in the same serially numbered tender paper, which has been physically obtained from Office of the Commissioner.

....

कुल राशि (With GST) = ...रूपया

कृपया उपर्युक्त राशि को ध्यान में रखते हुए वित्तीय निविदा दाखिल करें।

वित्तीय निविदा में वर्णित राशि का Justification एजेंसी से मांगा जा सकता है और Justification उचित नहीं रहने पर भविष्य में निविदा डालने से वंचित किया जा सकता है।

(1. समय–समय पर न्यूनतम मजदूरी का Revision होता है, उसी के अनुसार एजेन्सी मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करेंगे।

2. EPFO/ESIC/ अन्य अनिवार्य राशि संबंधित विभाग में जमा करने का पूर्ण दायित्व साफ–सफाई एजेन्सी का रहेंगा।

FOR REFERENCE ONLY

This tender document is for reference only and its physical copy has to be obtained from Office of the Commissioner, Near Golghar, Patna on payment of Rs. 100/-(One Hundred). Each tender paper purchased from Office of the Commissioner shall be serially numbered and signed. Agency will have to submit tender in the same serially numbered tender paper, which has been physically obtained from Office of the Commissioner.

Annexure-A

(वित्तीय निविदा का प्रारूप)

सेवा प्रदाता एजेंसी का नाम..

पूर्ण पता ....

दुरभाष सं0...

इमेल आई0डी0..

PAN सं0.. GST सं0...

<u>सफाई का दर</u>

प्रति सफाई कर्मी (अकुशल) एवं माली (अर्द्धकुशल) का प्रति महीना

26 दिन के लिये अकुशल एक मजदूरी (26 दिन x 392 रूपया)	= 10,192/—रूपया
26 दिन के लिये अर्द्धकुशल एक मजदूरी (26 दिन x 410 रूपया)	= 10,660/—रूपया
लागू दर पर EPFO की राशि @13%	= ....रूपया
लागू दर पर ESIC की राशि @3.25%	= ....रूपया
सेवा शुल्क प्रति माह @..............प्रतिशत में	= ....रूपया

....

कुल राशि (With GST)	= ....रूपया

अंक में ....

शब्द में ....

निविदादाता का हस्ताक्षर

....

FOR REFERENCE ONLY

This tender document is for reference only and its physical copy has to be obtained from Office of the Commissioner, Near Golghar, Patna on payment of Rs. 100/-(One Hundred). Each tender paper purchased from Office of the Commissioner shall be serially numbered and signed. Agency will have to submit tender in the same serially numbered tender paper, which has been physically obtained from Office of the Commissioner.